



न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ० अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 96/2019

दायरा दिनांक : 18.11.2019

उनवान

- 1— बीरम आयु 45 साल आत्मज भवानी, जाति लोधा, निवासी ग्राम बनेट, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज०)
- 2— श्रीलाल आयु 40 साल आत्मज भवानी, जाति लोधा, निवासी ग्राम बनेट, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज०)
- 3— गोपीलाल आयु 35 साल आत्मज भवानी, जाति लोधा, निवासी ग्राम बनेट, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज०)

.... अपीलांटगण

बनाम

- 1— कंवरलाल आयु 71 साल पुत्र भंवरलाल, जाति लोधा, निवासी ग्राम कोलूखेड़ीकलां, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज०)
- 2— रामसिंह आयु 68 साल पुत्र भंवरलाल, जाति लोधा, निवासी ग्राम कोलूखेड़ीकलां, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज०)
- 3— अमरी बाई आयु 60 साल पुत्री भंवरलाल, जाति लोधा, निवासी ग्राम कोलूखेड़ीकलां, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज०)
- 4— दोली बाई आयु 53 साल पुत्री भवानी, जाति लोधा, निवासी ग्राम बनेट, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज०)

डॉ० अनुपमा टेलर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज०)



- 5- केसरबाई आयु 55 साल पुत्री भवना, जाति लोधा, निवासी ग्राम बनेट, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज0)
- 6- देवलाल वल्द गिरधारी, जाति लोधा, निवासी ग्राम समरोल, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज0)
- 7- बीरम वल्द गिरधारी, जाति लोधा, निवासी ग्राम समरोल, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज0)
- 8- मांगीबाई वल्द गिरधारी, जोजे धन्नालाल, जाति लोधा, निवासी ग्राम भुलनखेड़ी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज0)
- 9- राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार सा0 तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज0)

.... रैस्पोंडेंट


अपील संख्या 97/2019

दायरा दिनांक : 18.11.2019

उनवान

- 1- बीरम आयु 45 साल आत्मज भवना, जाति लोधा, निवासी ग्राम बनेट, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज0)
- 2- श्रीलाल आयु 40 साल आत्मज भवना, जाति लोधा, निवासी ग्राम बनेट, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज0)
- 3- गोपीलाल आयु 35 साल आत्मज भवना, जाति लोधा, निवासी ग्राम बनेट, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज0)

.... अपीलान्टगण


डॉ० अनुपमा टेलर
 नू-प्रवन्ता अधिकारी एव
 पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
 कोटा (राज0)




बनाम

- 1- कंवरलाल आयु 71 साल पुत्र भंवरलाल, जाति लोधा, निवासी ग्राम कोलूखेड़ीकलां, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज0)
- 2- रामसिंह आयु 68 साल पुत्र भंवरलाल, जाति लोधा, निवासी ग्राम कोलूखेड़ीकलां, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज0)
- 3- अमरी बाई आयु 60 साल पुत्री भंवरलाल, जाति लोधा, निवासी ग्राम कोलूखेड़ीकलां, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज0)
- 4- दोली बाई आयु 53 साल पुत्री भवना, जाति लोधा, निवासी ग्राम बनेट, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज0)
- 5- केसरबाई आयु 55 साल पुत्री भवना, जाति लोधा, निवासी ग्राम बनेट, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज0)
- 6- देवलाल वल्द गिरधारी, जाति लोधा, निवासी ग्राम समरोल, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज0)
- 7- बीरम वल्द गिरधारी, जाति लोधा, निवासी ग्राम समरोल, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज0)
- 8- मांगीबाई वल्द गिरधारी, जोजे धन्नालाल, जाति लोधा, निवासी ग्राम भुलनखेड़ी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज0)
- 9- राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार सा0 तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज0)

.... रेस्पोंडेंट

उपस्थित - श्री संजय कुमार सक्सैना अभिभाषक अपीलांट की ओर से


 डॉ० अनुपमा टेलर
 प्रबन्ध अधिकारी एवं
 पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
 कोटा (राज0)



अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरुद्ध निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 30.06.2017 व अंतिम डिक्री दिनांक 14.12.2017 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना जिससे वाद संख्या 103/2006 वास्ते 88, 91, 53, 188 उद्घोषणा, अतिक्रमी, विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा का डिक्री किया गया।

निर्णय

दिनांक : 20.01.2023

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं -

- 1 ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।
- 2 दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 91, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया।
- 3 यह कि ग्राम खजूरी, तहसील मनोहरथाना के माल में खतौनी संख्या नयी 98 पुरानी 87 की खसरा नम्बर मि0 695 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा दल्लू बाई बेवा पन्ना के खाते स्थित है। नकल जमाबंदी ग्राम खजूरी, तहसील मनोहरथाना सम्वत 2056 से 2059 पेश है।
- 4 यह कि ग्राम खजूरी, तहसील मनोहरथाना के माल में खतौनी संख्या नयी 304 पुरानी 276 की खसरा नम्बर 696 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा आराजी दल्लू बाई बेवा पन्ना के खाते में स्थित है। नकल जमाबंदी ग्राम खजूरी, तहसील मनोहरथाना सम्वत 2056 से 2059 पेश है।

डॉ० अनुपमा टेलर
 नू-प्रबन्दा अधिकारी एवं
 पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
 कोटा (राज०)




5 यह कि ग्राम खजूरी, तहसील मनोहरथाना के माल में खतौनी संख्या नयी 99 पुरानी 88 की खसरा नम्बर 614 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 702 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा कुल 2 किता की 8 बीघा 13 बिस्वा आराजी दल्लू बाई बेवा पन्ना, भवाना वल्द हीरा 1/2, 1/2 से खाते दर्ज थी। नकल जमाबंदी ग्राम खजूरी, तहसील मनोहरथाना सम्वत 2056 से 2059 पेश है।

6 यह कि वाद की मद नम्बर 1, 2, 3 में वर्णित आराजी में खातेदार दल्लूबाई के फौत होने के कारण दल्लूबाई की जगह फोती इन्तकाल नम्बर 624 दिनांक 04.12.2001 को वादीगण एवं प्रतिवादीगण क्रम 1 भवाना व 2 धूलीबाई के नाम तस्दीक किया गया। जो जमाबंदी सम्वत 2056 से 2059 से स्पष्ट है।

7 यह कि प्रतिवादी क्रम 1 व 2 ने नामान्तरकरण नम्बर 624 की अपील अति० जिला कलेक्टर, झालावाड़ में की जो स्वीकार होने से नामान्तरकरण नम्बर 670 केवल प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के हक में दल्लूबाई की जगह तस्दीक कर दिया एवं अति० जिला कलेक्टर, ने वादीगण के पिता भंवरलाल को धूलीलाल नाम के यहां गोद जाना मान लिया। नामान्तरकरण नम्बर 670 का अमल होने से वाद की मद नम्बर 1, 2, 3 वर्णित जमाबंदी से वादीगण का नाम हट गया जो जमाबंदी सम्वत 2060 से 63 स्पष्ट है।

8 अति० जिला कलेक्टर, झालावाड़ के आदेश दिनांक की अपील वादीगण ने अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा में की जो आंशिक स्वीकार कर पुनः प्रकरण जांच हेतु तहसील मनोहरथाना में भेज दिया एवं संभागीय आयुक्त के आदेश के विरुद्ध वादीगण ने निगरानी राजस्व मण्डल अजमेर में जैरकार है।

9 यह कि वादीगण के पिता भंवरलाल कभी भी धूलीलाल के यहां गोद नहीं गया न सम्पत्ति प्राप्त की, धूलीलाल के औकार लाल नाम का लड़का


 उ०० अनुपमा टेलर
 नू-प्रबना अधिकारी एवं
 पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
 कोटा (राज०)



मौजूद है ऐसी स्थिति में धूलीलाल के यहां भंवरलाल का गोद जाने का कोई औचित्य ही नहीं है।

10 यह कि नामान्तरकरण नम्बर 624, 670 की कार्यवाही में पक्षकार के हक में फाईनल निर्णित नहीं होते इसलिए वादीगण अपने अधिकारों की घोषणा हेतु यह नियमित वाद पेश कर रहे हैं।

11 यह कि मृतक दल्लू बाई का वंश शजरा निम्न है जो नामान्तरकरण नम्बर 624 से भी स्पष्ट है।

दल्लू बाई पत्नी पन्ना फौत

लाऔलाद

पति का भाई का लड़का
भवाना वल्द हीरा प्रति०

पति का भाई का लड़का
भंवरलाल वल्द हीरा फौत

पति का भाई का लड़की
धूलीबाई पुत्री हीरा फौत

देवलाल पुत्र

बीरम पुत्र

मांगी पुत्री

कंवरलाल वादी

रामसिंह वादी

अमरीबाई वादी

12 यह कि वाद की मद नम्बर 9 में वर्णित शजरे के आधार पर मृतक दल्लूबाई खातेदार लाऔलाद फौत होने से वाद की मद नम्बर 1, 2, 3 वर्णित

डॉ० अनुष्मा टेलर
नू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज०)



आराजी पर दल्लूबाई की जगह वादीगण एवं प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 ही खातेदार घोषित होने योग्य है।

13 यह कि धूलीबाई पुत्री हीरा खातेदार फौत हो चुकी है। उसके वारिस प्रतिवादीगण 2/1 लगायत 2/3 बनाये गये हैं।

14 यह कि वादीगण ने प्रतिवादीगण से वाद की मद नम्बर 1, 2, 3 वर्णित आराजी में दल्लूबाई के खाते की में 1/3 हिस्सा अपने खाते दर्ज करवाने बाबत एवं विभाजन करवाने बाबत कई बार कहा लेकिन वह टालमटूल करते रहे, अन्तिम बार दिनांक 25.03.2006 को कहा तो प्रतिवादीगण इन्कार हो जाने से वाद कारण 25.03.2006 को पैदा हुआ है।

15 यह कि वाद की मद नम्बर 1, 2, 3 वर्णित आराजी शामलाती में रहने से आये दिन लड़ाई-झगड़ा होता रहता है, कर्ता राज अदा करने में परेशानी आती है, विकास कार्य नहीं कर पाते हैं, इस कारण से अच्छी से अच्छी तथा बुरी से बुरी का विभाजन करवा कर पृथक खाते दर्ज करवाना चाहते हैं।

16 वादीगण का वाद खिलाफ प्रतिवादीगण डिकी फरमाया जावे कि नामान्तरकरण नम्बर 670 दिनांक 16.04.2004 वादीगण के हितों के विरुद्ध बेअसर घोषित करते हुए वाद की मद नम्बर 1, 2, 3 वर्णित आराजी ग्राम खजूरी, तहसील मनोहरथाना की खतौनी संख्या नयी 98 व पुरानी 87 की खसरा नम्बर 695/1 की 5 बीघा 3 बिस्वा, एवं वाद की मद नम्बर 2 में वर्णित आराजी खतौनी संख्या नयी 304 पुरानी 276 की खसरा नम्बर 696 की 1 बीघा 9 बिस्वा में वादीगण हिस्सा 1/3, तथा प्रतिवादी नम्बर 1 हिस्सा 1/3, प्रतिवादी नम्बर 2/1 लगायत 2/3 हिस्सा 1/3 तथा वाद की मद नम्बर 3 खतौनी संख्या नई 99 पुरानी 88 की खसरा नम्बर 614 की 6 बीघा 17 बिस्वा एवं 701 की 1 बीघा 16 बिस्वा कुल 2 किता की 8 बीघा 13 बिस्वा आराजी में दल्लू बाई के 1/2 हिस्सा में वादीगण 1/3, तथा प्रतिवादी नम्बर 1 हिस्सा 1/3 व प्रतिवादी नम्बर 2/1 लगायत 2/3 हिस्सा 1/3 खातेदार

डॉ० अनुपमा टेलर
 नू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
 पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
 कोटा (राज०)



टीनेन्ट घोषित किया जावे और वाद की मद नम्बर 1, 2, 3 वर्णित आराजी का अच्छी से अच्छी तथा बुरी से बुरी का विभाजन किया जाकर वादीगण के उनका हिस्सा पृथक खाते दर्ज फरमायी जावे और वादीगण को नापकर सीमाज्ञान करवाकर आराजी पर कब्जा दिलवाया जावे।

17 अधीनस्थ न्यायालय के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि -

पत्रावली लोक अदालत केम्प मनोहरथाना में पेश हुई। पक्षकार उप. है। वादीगण का कथन है कि ग्राम खजूरी, तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या 98 की खसरा नम्बर 695 की 5.03 बीघा आराजी दल्लू बाई बेवा पन्ना के खाते दर्ज है। इसी ग्राम की खाता संख्या 304 की खसरा नम्बर 696 की 1.09 बीघा आराजी भी दल्लू बेवा पन्ना के खाते में है तथा इसी ग्राम की खाता संख्या 99 की 2 किता की 8.13 बीघा आराजी में भी दल्लू बेवा पन्ना का हिस्सा 1/2 दर्ज है। उक्त खातेदार दल्लू बेवा पन्ना फौत हो चुकी है। उसके वारिसान में इन्तकाल नं. 624 दिनांक 4.12.2001 से वादीगण तथा प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 का नाम संभाग से खोला गया है। लेकिन इस इन्तकाल की अपील माननीय ए डी एम के न्यायालय में प्रस्तुत करने पर पत्रावली वापस रिमाण्ड कर दी है। लेकिन पत्रावली पर ऐसा कोई रेकार्ड प्रस्तुत नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबंदी सम्वत 2056-2059 जिसे एकजीविट पी 1 से प्रदर्शित किया गया है का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि इन्तकाल नम्बर 624 दिनांक 4.12.2001 से धूली बाई के वारिसान के रूप में वादीगण एवं प्रतिवादी नं. 1 व 2 का नाम दर्ज करने का नोट अंकित है। प्रतिवादीगण को लोक अदालत में उपस्थित होने बाबत सूचना पत्र जारी किये गये थे लेकिन प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुए हैं।


18 पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि खातेदार मृतक दल्लू के फौत होने से उसके वारिसान के रूप में वादीगण तथा प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के नाम दर्ज हुआ है लेकिन

ॐ अनुपमा टेलर
 नू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
 पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
 कोटा (राज0)



उक्त इन्तकाल की अपील माननीय ए डी एम के यहां करने पर वादी का नाम हटा दिया लेकिन वादीगण का कथन है कि माननीय ए डी एम के निर्णय को निरस्त कर माननीय आर ए ए कोटा द्वारा तहसीलदार को रिमाण्ड किया है। चूंकि वह प्रकरण इन्तकाल की अपील से सम्बन्धित है। अब यह वाद घोषणा का वाद प्रस्तुत हुआ है जिसमें दोनों पक्षों की साक्ष्य ली जाकर पत्रवली में सलंगन है। पक्षकारों के साक्ष्य का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि वादीगण के पिता का गोद जाना प्रमाणित नहीं होता है। इसलिए विवादित उक्त तीनों खातों में दल्लू के वारिस हीरा लाल के पुत्र पुत्री धूली पुत्री हीरा लाल व भंवर लाल, भवाना पिता हीरा लाल होना प्रमाणित होता है। प्रतिवादीगण का यह कथन था कि भंवरलाल कहीं अन्य जगह गोद चला गया है इसलिए केवल धूली बाई व भवाना के वारिसान का ही नाम दर्ज किया जावे। लेकिन पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से भंवरलाल का गोद जाना प्रमाणित नहीं होने से दावा वादीगण डिक्री किये जाने योग्य है। अतः दावा वादीगण डिक्री किया जाकर आदेश है कि ग्राम खजूरी तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या 98 की खसरा नम्बर 695 की 5.03 बीघा भूमि ग्राम की खाता संख्या 304 की खसरा नम्बर 694 की 1.09 बीघा आराजी में वादीगण को 1/3 भाग तथा इसी भूमि की खाता संख्या 99 की 2 कित्ता की 8.13 बीघा आराजी में मृतक खातेदार दल्लूबाई के हिस्से की 1/2 भाग में से 1/3 भाग आराजी का वादीगण को खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जाता है तथा उक्त आराजी वादीगण के पृथक खाते में दर्ज करने हेतु तहसीलदार मनोहरथाना को राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के अनुसार विभाजन पत्र तैयार कर पेश करें। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

19 दिनांक 14.12.2017 को तहसील से वांछित विभाजन पत्र प्राप्त होने पर पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। विभाजन पत्र पर पक्षकारों


डॉ० अनुपमा टैलर
 नू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
 पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
 कोटा (राज०)



की सहमति के हस्ताक्षर हैं। अतः मुताबिक विभाजन पत्र अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

20 अपील संख्या 96/2019 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं—

21 अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 30.06.2017 को निर्णय एवं डिक्री पारित की है जिसके बारे में अपीलांत को कभी भी पता नहीं लगा। अपीलांत को माननीय अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री का सर्वप्रथम ज्ञान दिनांक 17.06.2019 को हुआ। जबकि रेस्पोंडेंट ने अपीलांत से कहा कि विवादग्रस्त आराजी पर अपीलांत के स्वामित्व व कब्जे की आराजी पर जबरन कब्जा कर लेंगे उनके पक्ष में न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री हो गई इसके तुरन्त बाद अपीलांत ने मालूमात करके दिनांक 17.06.2019 को नकल का प्रार्थना पत्र दिया। जिस पर नकल दिनांक 18.06.2019 को मिली। मियाद मुआफी का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पृथक से प्रस्तुत है। इस प्रकार दिनांक ज्ञान से यह अपील अन्दर मियाद काबिज समाअत अदालत हाजा उचित कोर्ट फीस प्रस्तुत है। नकल निर्णय एवं डिक्री सलंगन कर प्रस्तुत है।

22 अपीलांत गांव के व्यक्ति हैं तथा बिना पढ़े-लिखे है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा इस दावे को लोक अदालत में रखने की अपीलांत को कभी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई तथा अपीलांत के अधिवक्ता ने लोक अदालत में प्रकरण को रखने बाबत नहीं बताया। ऐसी किसी सूचना पर अपीलांत के हस्ताक्षर नहीं है। दिनांक 30.06.2017 को अपीलांत को अधीनस्थ न्यायालय में लोक अदालत में नहीं बुलाया था। अपीलांत ने किसी भी प्रकार का राजीनामा नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा बिना किसी आधार के अपीलांत को सुने बिना तथा अपीलांत को सूचना के बिना प्रकरण को बिना किसी सबूत के निर्णय पारित कर दिया। इस कानूनी बिन्दु की ओर अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के दावा निर्णय कर दिया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने में

ॐ० अनुपमा टेलर
नू-प्रबना अधिकारी एवं
पदेन तजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज०)



कानूनी एवं तथ्य पूर्ण गलती की है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त होने योग्य है।

23 यह कि रेस्पोंडेंट नम्बर 1 लगायत 3 का पिता भंवरलाल नाबालिग अवस्था में ही यानि 10-12 साल की उम्र में ही उनकी नानी पारीबाई, निवासी बल्देवपुरा के यहां गोद चला गया था तथा नानी की समस्त सम्पत्ति भंवरलाल को प्राप्त हुई है। जिसको वादी के पिता भंवरलाल ने खुर्द-बुर्द कर दी। भंवरलाल की शादी भी उसकी नानी ने की थी। इसके बाद भंवरलाल अपने ससुराल धूलीलाल लोधा, निवासी कोलूखेड़ी में आकर रहने लगा। इस पिछले 50 साल से भंवरलाल व वादीगण का दल्लू बाई की आराजी पर पिछले 50 साल से कभी भी कब्जा नहीं रहा है और न ही उक्त आराजी को काशत किया है। प्रतिवादी भवाना का दल्लूबाई के जीवनकाल से वादग्रस्त आराजी पर पिछले 50 साल से लगातार कब्जा काशत चला आ रहा है। दल्लूबाई के स्वर्गवास के बाद उसका क्रियाकर्म भवाना ने ही किया है। इसी कारण दल्लूबाई का इंतकाल प्रतिवादी भवाना के नाम सही रूप से तस्दीक हुआ था। इस निर्णय के विरुद्ध अपील रेस्पोंडेंट नम्बर 1 लगायत 3 ने राजस्व मण्डल, अजमेर में कर रखी है। ऐसी सूरत में वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं था। लेकिन रेस्पोंडेंट नम्बर 1 लगायत 3 ने अधीनस्थ न्यायालय में गलत तथ्य प्रस्तुत करके अधीनस्थ न्यायालय को गुमराह करके निर्णय व डिक्री प्राप्त की है। अधीनस्थ न्यायालय ने किसी भी प्रकार की जांच नहीं की। इस तथ्य की अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय एवं डिक्री पारित करने में कानूनी एवं तथ्यपूर्ण गलती की है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त होने योग्य हैं।

24 यह कि भवाना के द्वारा उक्त आराजी अपीलांट को दान कर दी, जो उपपंजीयन कार्यालय में पंजीयन भी करवा दी गई। भवाना खातेदार कृषक भी नहीं रहा है। अपीलांट का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा है तथा रेस्पोंडेंट नम्बर 1 लगायत 3 का वादग्रस्त आराजी पर कभी भी कब्जा काशत नहीं रहा है।

ॐ अनुपमा टेलर
नू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज०)



रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय को सही तथ्य नहीं बताये लेकिन रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 3 ने तथ्यों को छुपाते हुए गलत निर्णय व डिक्री प्राप्त कर ली है। अधीनस्थ न्यायालय ने किसी प्रकार की जांच नहीं की। इस तथ्य की अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री पारित करने में कानूनी एवं तथ्य पूर्ण गलती की है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त होने योग्य है।

25 यह कि अपीलांट खातेदार है। अपीलांट विवादग्रस्त आराजी पर लगातार आज तक बहैसियत खातेदार विधिक कब्जा निर्बाध रूप से चला आ रहा है। रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 3 खातेदार कृषक नहीं है तथा उनका वादग्रस्त आराजी पर कब्जा भी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट्स ने इस तथ्य को छुपाकर दावा करके वादग्रस्त आराजी के बंटवारे की निर्णय व डिक्री अधीनस्थ न्यायालय को गुमराह करके प्राप्त कर ली। इस तथ्य की अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय एवं डिक्री पारित करने में कानूनी एवं तथ्य पूर्ण गलती की है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री निरस्त होने योग्य है।

26 यह कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण को लोक अदालत में निस्तारण करने हेतु किसी भी पक्षकार ने प्रार्थना पत्र नहीं दिया, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को मनमाने रूप से लोक अदालत में रख दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना सभी पक्षकार की सहमति के तथा बिना उपस्थिति में प्रकरण का गैरकानूनी रूप से निस्तारण कर दिया। इस कानूनी बिन्दू की ओर अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के दावा डिक्री कर दिया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने में कानूनी एवं तथ्य पूर्ण गलती की है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त होने योग्य है।

डॉ० अनुपमा टेलर
 नू-प्रबन्धा अधिकारी एवं
 पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
 कोटा (राज०)



27 यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का कोई उचित एवं पूर्ण अवसर दिये बिना निर्णय व डिक्री पारित कर दी जो कि अवैधानिक है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय एवं डिक्री पारित करने में कानूनी एवं तथ्य पूर्ण गलती की है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त होने योग्य है।

28 यह कि रेस्पोंडेंट्स ने फ़ाड एवं मिसरिप्रजेन्टेशन करके अधीनस्थ न्यायालय से डिक्री प्राप्त की है, इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त होने योग्य है।

29 यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को जवाबदेही प्रस्तुत करने का तथा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का तथा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का उचित एवं पूर्ण अवसर नहीं दिया, इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त होने योग्य है।

30 यह कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री कानून, तथ्य एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है।

31 अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना का निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.06.2017 को निरस्त फरमाया जावे तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड की जावे तथा प्रकरण की अपीलांट की उपस्थिति में सुनवाई की जावे तथा अपीलांट को जवाब व मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने व सुनवाई का पूर्ण एवं उचित अवसर प्रदान किया जाकर निर्णय एवं डिक्री पारित की जावे।

32 अपील संख्या 97/2019 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं—


डॉ० अनुष्मा टेलर
नू-प्रबना अधिकारी एवं
पदेन तजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज०)



33 अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 14.12.2017 को निर्णय एवं फाईनल डिक्री पारित की है जिसके बारे में अपीलांट को कभी भी पता नहीं लगा। अपीलांट को माननीय अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं फाईनल डिक्री का सर्वप्रथम ज्ञान दिनांक 14.12.2017 को हुआ जबकि रेस्पोंडेंट ने अपीलांट से कहा कि विवादग्रस्त आराजी पर अपीलांट के स्वामित्व व कब्जे की आराजी पर जबरन कब्जा कर लेंगे उनके पक्ष में न्यायालय का निर्णय एवं फाईनल डिक्री हो गई इसके तुरन्त बाद अपीलांट ने मालूमात करके दिनांक 17.06.2019 को नकल का प्रार्थना पत्र दिया। जिस पर नकल दिनांक 18.06.2019 को मिली। मियाद मुआफी का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पृथक से प्रस्तुत है। इस प्रकार दिनांक ज्ञान से यह अपील अन्दर मियाद काबिज समाप्त अदालत हाजा उचित कोर्ट फीस प्रस्तुत है। नकल निर्णय एवं फाईनल डिक्री सलंगन कर प्रस्तुत है।

34 यह कि अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 14.12.2017 को पत्रावली अदालत में पेश हुई। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को तथा पक्षकारान को कोई नोटिस जारी नहीं किये। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलांट से प्रस्ताव बंटवारा पर कोई ऐतराज नहीं मांगे। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 14.12.2017 को ही बिना किसी आधार के फाईनल डिक्री पारित कर दी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने फाईनल डिक्री पारित करने में अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश एवं फाईनल डिक्री पारित की है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश एवं फाईनल डिक्री पारित करने में कानूनी एवं तथ्य पूर्ण गलती की है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एवं फाईनल डिक्री निरस्त होने योग्य है।

35 यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा फाईनल डिक्री का आदेश पारित करते समय बंटवारे के नियमों का कोई ध्यान नहीं रखा गया। मिट्स एवं बाउन्डस के आधार पर बंटवारा नहीं किया गया तथा प्रत्येक पक्षकार को आवंटित किये गये भाग का एवं उसी अनुपात में नहीं है जितना कि उसका


डॉ० अनुपमा डेलर
 नू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
 पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
 कोटा (राज०)



हिस्सा कृषि जोत में है। पक्षकारान के आराजीयात में अलग अलग कब्जे को भी ध्यान में नहीं रखा गया। तहसीलदार ने स्वयं ने बंटवारा प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार नहीं किया है। अपीलांट को वक्त पार्टीशन मौके पर नहीं बुलाया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश एवं फाईनल डिक्री पारित करने में कानूनी एवं तथ्य पूर्ण गलती की है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एवं फाईनल डिक्री निरस्त होने योग्य है।

36 यह कि पार्टीशन रिपोर्ट के अनुसार पटवारी हल्का के द्वारा प्रत्येक खसरा नम्बर के जो टुकड़े किये हैं। वह बंटवारे के नियमों के सर्वथा विपरीत है। पार्टीशन रिपोर्ट रिपोर्ट बंटवारे के नियमों के सर्वथा विपरीत है। पटवारी ने मिटस एवं बाउन्डस के आधार पर बंटवारा नहीं किया है। जिसके आधार पर फाईनल डिक्री का आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी बिन्दुओं की ओर ध्यान नहीं दिया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश एवं फाईनल डिक्री पारित करने में कानूनी एवं तथ्य पूर्ण गलती की है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एवं फाईनल डिक्री निरस्त होने योग्य है।

37 यह कि विवादग्रस्त आराजी अपीलांट के कब्जे, काश्त एवं खातेदारी की आराजी थी, जिसमें अपीलांट्स के अकेले के स्वामित्व व खातेदारी की है। इस प्रकार सही तथ्यों को छुपाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं फाईनल डिक्री प्राप्त की है। जिससे अपीलांट के हक, हिस्सा प्रभावित होता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश एवं फाईनल डिक्री पारित करने में कानूनी एवं तथ्य पूर्ण गलती की है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एवं फाईनल डिक्री निरस्त होने योग्य है।

38 यह कि रेस्पोंडेंट नम्बर 1 लगायत 3 का पिता भंवरलाल नाबालिग अवस्था में ही यानि 10-12 साल की उम्र में ही उनकी नानी पारीबाई, निवासी बलदेवपुरा के यहां गोद चला गया था तथा नानी की समस्त सम्पत्ति

डॉ० अनुपमा टेलर
 नू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
 पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
 कोटा (राज०)



भंवरलाल को प्राप्त हुई है। जिसको वादी के पिता भंवरलाल ने खुर्द-बुर्द कर दी। भंवरलाल की शादी भी उसकी नानी ने की थी। इसके बाद भंवरलाल अपने ससुराल धूलीलाल, लोधा, निवासी कोलूखेड़ी में आकर रहने लगा। इस पिछले 50 साल से भंवरलाल व वादीगण का दल्लूबाई की आराजी पर पिछले 50 साल से भंवरलाल व वादीगण का दल्लूबाई की आराजी पर पिछले 50 साल से कभी भी कब्जा नहीं रहा है और न ही उक्त आराजी को काश्त की है। प्रतिवादी भवाना का दल्लूबाई के जीवनकाल से उक्त आराजी पर पिछले 50 साल से लगातार कब्जा चला आ रहा है। दल्लूबाई के स्वर्गवास के बाद उसका क्रियाकर्म भवाना ने ही किया है। इसी कारण दल्लूबाई का इन्तकाल प्रतिवादी भवाना के नाम सही रूप से तस्दीक हुआ था। इस निर्णय के विरुद्ध अपील रेस्पोंडेंट्स नं. 1 लगायत 3 ने राजस्व मण्डल अजमेर में कर रखी है। ऐसी सूरत में वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं होने से खारिज होने योग्य था। लेकिन रेस्पोंडेंट नम्बर 1 लगायत 3 ने अधीनस्थ न्यायालय में गलत तथ्य प्रस्तुत करके अधीनस्थ न्यायालय को गुमराह करके निर्णय व फाईनल डिक्री प्राप्त की है। अधीनस्थ न्यायालय ने किसी भी प्रकार की जांच नहीं की। इस तथ्य की अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय एवं फाईनल डिक्री पारित करने में कानूनी एवं तथ्य पूर्ण गलती की है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं फाईनल डिक्री निरस्त होने योग्य है।

39 यह कि भवाना के द्वारा उक्त आराजी को अपीलांट को दान कर दी। इसको उपपंजीयन कार्यालय में पंजीयन भी करवा दिया। इस कारण उक्त आराजी का भवाना खातेदार कृषक भी नहीं रहा है। अपीलांट्स का विवादग्रस्त आराजी पर कब्जा है तथा रेस्पोंडेंट नम्बर 1 लगायत 3 का विवादग्रस्त आराजी पर कब्जा भी नहीं है। लेकिन रेस्पोंडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय को सही तथ्य नहीं बताये। लेकिन रेस्पोंडेंट नम्बर 1 लगायत 3 ने तथ्यों को छुपाते हुए न्यायालय से गलत रूप से निर्णय एवं फाईनल डिक्री

डॉ० अनुष्मा टेलर
नू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज०)



प्राप्त कर ली है। अधीनस्थ न्यायालय ने किसी भी प्रकार की जांच नहीं की। इस तथ्य की अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय एवं फाईनल डिक्ली पारित करने में कानूनी एवं तथ्य पूर्ण गलती की है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं फाईनल डिक्ली निरस्त होने योग्य है।

40 यह कि अपीलांट्स खातेदार है। अपीलांट्स का विवादग्रस्त आराजी पर लगातार आज तक बहैसियत खातेदार विधिक कब्जा निर्बाध रूप से चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेंट नम्बर 1 लगायत 3 ने इस तथ्य को छुपाकर दावा करके विवादग्रस्त आराजी के बंटवारे की निर्णय एवं फाईनल डिक्ली अधीनस्थ न्यायालय को गुमराह करके प्राप्त कर ली। इस तथ्य की अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय एवं फाईनल डिक्ली पारित करने में कानूनी एवं तथ्य पूर्ण गलती की है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं फाईनल डिक्ली निरस्त होने योग्य है।

41 यह कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण को लोक अदालत में निस्तारण करने हेतु किसी भी पक्षकार ने प्रार्थना पत्र नहीं दिया, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को मनमाने रूप से लोक अदालत में रख दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना सभी पक्षकार की सहमति के तथा बिना उपस्थिति में प्रकरण का गैरकानूनी रूप से निस्तारण कर दिया। इस कानूनी बिन्दू की ओर अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के निर्णय व फाईनल डिक्ली पारित कर दिया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व फाईनल डिक्ली पारित करने में कानूनी एवं तथ्यपूर्ण गलती की है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व फाईनल डिक्ली निरस्त होने योग्य है।

डॉ० अनुपमा टेलर
 नू-प्रबन्। अधिकारी एवं
 पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
 कोटा (राज०)



42 यह कि अपीलांट्स के द्वारा विभाजन पत्र पर किसी भी प्रकार की सहमति नहीं दी तथा ऐसी किसी भी विभाजन पत्र पर अपीलांट के सहमति के हस्ताक्षर भी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेंट्स ने तथ्यों को छुपाकर दावा करके विवादग्रस्त आराजी के बंटवारे की निर्णय एवं फाईनल डिक्ली अधीनस्थ न्यायालय को गुमराह करके प्राप्त कर ली। इस तथ्य की अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय एवं फाईनल डिक्ली पारित करने में कानूनी एवं तथ्य पूर्ण गलती की है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं फाईनल डिक्ली निरस्त होने योग्य है।

43 यह कि रेस्पोंडेंट्स ने फाड एवं मिसरिप्रजेन्टेशन करके अधीनस्थ न्यायालय से फाईनल डिक्ली प्राप्त की है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं फाईनल डिक्ली निरस्त होने योग्य है।

44 यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य का ध्यान नहीं दिया कि अंतिम डिक्ली जारी करने से पूर्व सभी पक्षकारों को समुचित सुनवाई का उचित एवं पर्याप्त अवसर दिया जाना आवश्यक है तथा राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना किया जाना मेन्डेटरी है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलांट को कोई नोटिस नहीं दिया गया। इसलिए अन्तिम डिक्ली जारी करने बाबत की गईं तमाम कार्यवाही कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से काबिले निरस्तनीय है।

45 यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि प्रस्ताव बंटवारा बनाने से पूर्व दोनों पक्षों की उपस्थिति हेतु तहसीलदार द्वारा नोटिस दिया जाना चाहिए था तथा पक्षकारों की उपस्थिति में अलग अलग रंग से नक्शों से हिस्सा दर्शाया जाना चाहिए था। किन्तु तहसीलदार के द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया। इस कानूनी बिन्दु की ओर अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने सरसरी तौर पर अन्तिम डिक्ली

ॐ
 डॉ० अनुपमा टेलर
 प्रबन्ध अधिकारी एवं
 पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
 कोटा (राज०)




जारी कर दी। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री निरस्त होने योग्य है।

46 यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का उचित एवं पूर्ण अवसर दिये बिना फाईनल डिक्री बनाने का आदेश पारित कर दिया, जो कि अवैधानिक है। अपीलांट से उजात नहीं देखे गये। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश एवं फाईनल डिक्री पारित करने में कानूनी एवं तथ्य पूर्ण गलती की है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एवं फाईनल डिक्री निरस्त होने योग्य है।

47 यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने जो प्रारम्भिक डिक्री पारित की है उसके अनुसार फाईनल डिक्री नहीं बनायी गयी है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने फाईनल डिक्री पारित करने में अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश एवं फाईनल डिक्री पारित की है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एवं फाईनल डिक्री निरस्त होने योग्य है।

48 यह कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 14.12.2017 को फाईनल डिक्री पारित करने के आदेश पारित कर दिये, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेश करने का आदेश नहीं दिया गया। रेस्पोंडेंट्स के द्वारा नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेश नहीं किया गया है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 14.12.2017 को ही बिना किसी आधार के फाईनल डिक्री पारित कर दी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी बिन्दुओं की ओर अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार मनमाने तौर पर आदेश एवं फाईनल डिक्री पारित की है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश एवं फाईनल डिक्री पारित करने में कानूनी एवं तथ्य पूर्ण गलती की है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एवं फाईनल डिक्री निरस्त होने योग्य है।


 उ० अनुपमा टेलर
 नू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
 पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
 कोटा (राज०)



49 यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एवं फाईनल डिक्ली कानून तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है।

50 यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एवं फाईनल डिक्ली पत्रावली में मौजूद दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है।

51 अतः अपील अपीलांट स्वीकार फारमायी जावे। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना का निर्णय एवं फाईनल डिक्ली दिनांक 14.12.2017 को निरस्त फरमाया जावे तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड की जावे तथा प्रकरण की अपीलांट की उपस्थिति में सुनवाई की जावे तथा अपीलांट को जवाब व साक्ष्य प्रस्तुत करने व सुनवाई का पूर्ण एवं उचित अवसर प्रदान किया जाकर निर्णय एवं डिक्ली पारित की जावे।

52 दोनों अपीलों के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 17.06.2019 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

53 दोनों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोंडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

54 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं अपने पक्ष के समर्थन में निम्न नजीरे पेश की -

1 आर.आर.टी. 2011-12 (सप्लीमेन्ट्री) पेज 698

2 आर.आर.टी. 2018-19 (सप्लीमेन्ट्री) पेज 394

डॉ० अनुपमा टेलर
 प्रबन्ध अधिकारी एवं
 पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
 कोटा (राज्य)



55 हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकार्ड एवं दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया गया ।

56 अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया । ए.आई.आर. 1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए । माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रक्रियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए । अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ।

57 अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करते समय तनकीयात कायम नहीं की है । अधीनस्थ न्यायालय को तनकीवार निर्णय पारित करना चाहिए था ।

58 अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया । बंटवारा प्रस्ताव से यह पता नहीं चलता है कि तहसीलदार ने स्वयं मौके पर उपस्थित होकर माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर के नियम 18 से 21 की पूर्ण रूप से पालना की है । बंटवारा प्रस्ताव पर तहसीलदार के काउंटर हस्ताक्षर हैं, जो गलत है । जो नक्शा पेश किया गया है वह भी अधूरा है उसमें रंग नहीं भरे गये हैं तथा नक्शे के साथ मूल नक्शा भी सलंग्न नहीं है जिससे यह पता नहीं चलता है कि बंटवारा

डॉ० अनुपमा टेलर
 नू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
 पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
 कोटा (राज०)



किस आधार पर किया गया है। बंटवारा प्रस्ताव पर वादीगण के हस्ताक्षर तो हैं किन्तु प्रतिवादीगण की कोई उपस्थिति दर्ज नहीं की गई है। अतः बंटवारा प्रस्ताव अधूरा है। अतः बंटवारा प्रस्ताव पारित करते समय तहसीलदार को स्वयं मौके पर उपस्थित होकर सम्बन्धित पक्षकारों को जरिये नोटिस सूचना देकर बुलाया जाना चाहिए एवं उनकी उपस्थिति में ही बंटवारा प्रस्ताव पारित करना चाहिए। यदि कोई पक्षकार उपस्थित नहीं होता है तो उसका भी विवरण बंटवारा प्रस्ताव पर अंकित होना चाहिए।

59 उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीले आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 30.06.2017 व अंतिम डिक्री दिनांक 14.12.2017 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षकारान को सुनकर अपील में वर्णित बिन्दुओं का बिन्दुवार निस्तारण करते हुए गुणावगुण, साक्ष्य एवं सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.03.2023 को उपस्थित हों।

60 निर्णय आज दिनांक 20.01.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

A/2011/2023
(डॉ० अनुपमा टेलर)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा